सबसे पहले
लाइफ इंश्योरेंस

ऑनलाइन भी उपलब्ध

एलआईसी का

जीवन आज़ाद

Plan No. : 868 | एक नॉन-लिंक्ड, असहभागी, व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना | UIN: 512N348V01

तनाव से आज़ादी
खुशियों की चमक

आकर्षक सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि | न्यूनतम मूल बीमा राशि ₹2 लाख. अधिकतम मूल बीमा राशि ₹5 लाख प्रति जीवन | पॉलिसी अवधि: 15-20 साल

LIC digital डाउनलोड कीजिए एलआईसी मोबाइल ऐप 'एलआईसी डिजिटल'

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

विज़िट करें:licindia.in

हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

अधिक जानकारी के लिए अपने एजेंट/नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम SMS करें 56767474 पर.

भ्रामक फोन कॉल्स और झूठे/धोखाधड़ी वाले ऑफर्स से सावधान रहें. आईआरडीएआई बीमा पॉलिसी बेचने या बोनस की घोषणा करने या प्रीमियम के निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता. जनता से निवेदन है कि ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने पर वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं.

जोखिम घटकों, नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री से पहले सेल्स ब्रोशर को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

हमें फौलो करें: LIC India Forever

IRDAI Regn No.: 512

LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC / M1 / 2022-23 / 15 / Hin

एलआईसी का जीवन आजाद (UIN: 512N348V01) (एक असंबद्ध, अप्रतिभागी, व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना)

एलआईसी का जीवन आजाद एक असंबद्ध, अप्रतिभागी, व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना है जो कि सुरक्षा तथा बचत का मेल प्रदान करता है। यह एक सीमित प्रीमियम भुगतान एंडोवमेन्ट योजना है जो कि पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा लोन सुविधा के ज़रिए नकदीकरण की ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है। यह परिपक्वता की तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर निश्चित युक्त एकमुश्त राशि भी प्रदान करता है।

इस योजना को ऑफ़लाइन लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट एजेन्ट्स ब्रोकर्स, इंश्योरेन्स मार्केटिंग फर्म्स, पॉइन्ट ऑफ़ सेल्स पर्सन-लाइफ इंश्योरेन्स (POSP-LI)/ कॉमन पब्लिक सर्विस सेंटर्स (CPSC-SPV) तथा ऑनलाइन सीधे वेबसाइट www.licindia.in के ज़रिए खरीदा जा सकता है।

1. *हितलाभ :*

प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत निम्न अनुसार हितलाभ देय होंगे :

अ. मृत्यु हितलाभ :

जोखिम के आरंभ होने की तिथि के बाद पॉलिसी अवधि के दौरान, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले, बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय मृत्यु हितलाभ ''मृत्यु पर बीमा राशि'' के समान होगी, जहां ''मृत्यु पर बीमा राशि'' को ''मूल बीमा राशि'' या ''वार्षिकीकृत प्रीमियम के 7 गुना'' में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक ''भुगतान किए गए समस्त प्रीमियमों'' के 105% से कम नहीं होगा,

जहां,

i. ''वार्षिकीकृत प्रीमियम'' पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए अनुसार एक वर्ष में देय प्रीमियम की राशि है, जिसमें कर, अनुवृद्धि प्रीमियम्स, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम्स तथा मोडल प्रीमियम्स के लिए लोडिंग्स, अगर कोई हो, तो शामिल नहीं है, तथा

ii. ''भुगतान किए गए समस्त प्रीमियम'' का अर्थ प्राप्त सभी प्रीमियम्स का योगफल है, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम, कोई अनुवृद्धि प्रीमियम तथा कर शामिल नहीं है।

लेकिन अवयस्क बीमित व्यक्ति के मामले में, जहां प्रवेश करने की उम्र 8 वर्ष से कम है, जोखिम के आरंभ होने से पहले मृत्यु होने पर (जैसा कि पैरा 2 में उल्लेख किया गया है), मृत्यु हितलाभ की राशि, अदा किए गए प्रीमियम (कर, अतिरिक्त प्रीमियम तथा अनुवृद्ध प्रीमियम, अगर कोई हो को छोड़कर) को, बिना किसी ब्याज, लौटाना होगी।

ख. परिपक्वता हितलाभ:

परिपक्वता की विनिर्धारित तिथि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर ''परिपक्वता पर बीमा राशि'' का भुगतान किया जाएगा। जहां, ''परिपक्वता पर बीमा राशि'' मूल बीमा राशि के समान होगी।

2. *पात्रता की शर्तें तथा अन्य प्रतिबंध:*

i. प्रवेश की न्यूनतम उम्र : 90 दिन (पूर्ण)

ii.	प्रवेश की अधिकतम उम्र	: 50 वर्ष (नजदीकी जन्मदिन पर) : 65 वर्ष (नजदीकी जन्मदिन पर) पॉलिसी अवधि को घटाकर अगर पॉलिसियों को POSP-LI/CPSC-SPV के ज़रिए लिया जाता है
iii.	परिपक्वता की न्यूनतम उम्र	: 18 वर्ष (पूर्ण)
iv.	परिपक्वता की अधिकतम उम्र	: 70 वर्ष (नजदीकी जन्मदिन पर) : 65 वर्ष (नजदीकी जन्मदिन पर) अगर पॉलिसियों को POSP-LI/CPSC-SPV के ज़रिए लिया जाता है
v.	पॉलिसी अवधि	: 15 वर्ष से 20 वर्ष
vi.	प्रीमियम भुगतान करने की अवधि	: पॉलिसी अवधि से 8 वर्ष घटाकर
vii.	न्यूनतम मूल बीमाकृत राशि **प्रति जीवन***	: रु. 2,00,000/-
viii.	अधिकतम मूल बीमाकृत राशि **प्रति जीवन*** (मूल बीमाकृत राशि रु.25,000/- के गुणज में होगी)	: रु. 5,00,000/-

इस योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को जारी सभी पॉलिसियों की कुल मूल बीमा राशि रु.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.

जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि: यदि प्रवेश पर बीमित व्यक्ति की उम्र 8 वर्ष से कम है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत जोखिम या तो पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष पूर्ण होने के दिन से, या 8 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के साथ या उसके तुरंत बाद पॉलिसी वर्षगाँठ से, जो भी पहले हो, प्रारंभ होगा। जिनकी उम्र 8 वर्ष या उससे अधिक है, उनके लिए जोखिम को स्वीकार किए जाने की तिथि से यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि के साथ ही जोखिम प्रारंभ हो जाएगा।

योजना के अंतर्गत निहित होने की तिथि: अगर पॉलिसी अवयस्क व्यक्ति के जीवन पर जारी की गई है, तो उसके 18 वर्ष की उम्र पूरी होने या उसके तुरंत बाद पॉलिसी वर्षगांठ पर पॉलिसी स्वत: बीमित व्यक्ति के नाम पर निहित हो जाएगी और ऐसे निहित होने को निगम तथा बीमित व्यक्ति के बीच संविदा माना जाएगा।

3. *उपलब्ध विकल्प:*

I. वैकल्पिक अनुवृद्धियाँ:

इस प्लान के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नांकित तीन वैकल्पिक अनुवृद्धियाँ उपलब्ध ह। हालाँकि, पॉलिसीधारक द्वारा एलआईसी के दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं विकलांगता हितलाभ अनुवृद्धि या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ अनुवृद्धि में से किसी एक को तथा/या नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, पात्रता के अधीन बाकी एलआईसी प्रीमियम छुट हितलाभ अनुवृद्धियाँ को चुना जा सकता है।

क) एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि (UIN: 512B209V02)

इस अनुवृद्धि को प्रभावी पॉलिसी के लिए मूल प्लान की प्रीमियम भुगतान अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल प्लान की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, अगर इस अनुवृद्धि को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दूर्घटना हितलाभ अनुवृद्धि बीमा राशि एकमुश्त

रूप से मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ देय होगी। दुर्घटना के कारण (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के अंदर) अशक्तता पैदा होने पर पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के समान राशि का भुगतान 10 वर्षों की अवधि में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा तथा दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के लिए भविष्य के प्रीमियम्स तथा मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि, जो कि दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के समान है, के अंश हेतु प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा। अवयस्कों के जीवन पर पा लिसी के अंतर्गत, यह अनुवृद्धि 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पॉलिसी वर्षगांठ से, इस विषय में अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध होगा।

ख) एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ अनुवृद्धि (UIN:512B203V03)

इस अनुवृद्धि को प्रभावी पॉलिसी के लिए मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि में किसी भी समय लिया जा सकता है, बशर्ते मूल योजना तथा अनुवृद्धि की शेष प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो। इस अनुवृद्धि के अंतर्गत हितलाभ संरक्षण पॉलिसी अवधि के दौरान उपलब्ध होगा। अगर इस अनुवृद्धि को दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति के लिए चुना जाता है, तो दुर्घटना हितलाभ अनुवृद्धि बीमा राशि के रूप में एकमुश्त देय होगी। अवयस्कों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह अनुवृद्धि 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पॉलिसी वर्षगांठ से, इस विषय में अनुरोध प्राप्त होने पर उपलब्ध होगी।

ग) एलआईसी का प्रीमियम छूट हितलाभ अनुवृद्धि (UIN: 512B204V03)

किसी प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, किसी भी समय पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर इस अनुवृद्धि को पॉलिसी वर्षगांठ के समय, लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियमों भुगतान अवधि के दौरान लिया जा सकता है, बशर्ते मूल पॉलिसी तथा अनुवृद्धि की प्रीमियम भरने की बकाया अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। साथ ही पॉलिसी के अंतर्गत इस अनुवृद्धि को लेने की वहां अनुमति होगी जहां इस अनुवृद्धि को लेते समय बीमित व्यक्ति अवयस्क है। अनुवृद्धि की अवधि इस अनुवृद्धि को चुनने की तिथि को मूल प्लान की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि या (25 - अनुवृद्धि लेते समय अवयस्क बीमित व्यक्ति की उम्र) से जो भी कम हो, होगी। अगर अनुवृद्धि की अवधि और प्रस्तावक की उम्र का योग 70 वर्ष से अधिक हो तो अनुवृद्धि की अनुमति नहीं होगी।

अगर इस अनुवृद्धि को लिया जाता है तो, प्रस्तावक की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तिथि के बाद से अनुवृद्धि अवधि की समाप्ति तक देय होने वाले प्रीमियम्स को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन किसी स्थिति में, अगर मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि, अनुवृद्धि की अवधि से अधिक हो तो इस प्रीमियम छूट हितलाभ अनुवृद्धि अवधि की समाप्ति की तिथि से देय होने वाले मूल पॉलिसी के अंतर्गत अगले प्रीमियमों का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। ऐसे प्रीमियमों का भुगतान न करने पर पॉलिसी प्रदत्त पॉलिसी बन जाएगी।

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ अनुवृद्धि या एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु एवं अपंगता हितलाभ अनुवृद्धि के लिए प्रीमियम मूल प्लान के अंतर्गत प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगा तथा एलआईसी के प्रीमियम छूट हितलाभ अनुवृद्धि के अंतर्गत प्रीमियम मूल प्लान के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त प्रत्येक अनुवृद्धि बीमा राशि मूल प्लान के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकती।

उपरोक्त अनुवृद्धियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अनुवृद्धि पत्रिका देखें या एलआईसी के नजदीक शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

अगर पॉलिसियों को POSP-LI/CPSC-SPV के जरिए खरीदा जाता है तो कोई अनुवृद्धि उपलब्ध नहीं होगा।

II. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए):

निपटान विकल्प प्रभावी और प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता हितलाभ को एकमुश्त राशि के बदले 5 वर्षों की चुनी हुई अवधि में, किस्तों में प्राप्त करने का विकल्प है। इस विकल्प को पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्तियों की अवयस्कता के दौरान या 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बीमित व्यक्तियों द्वारा, अपने जीवनकाल के दौरान, पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता हितलाभ के पूर्ण या एक हिस्से के लिए अपनाया जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात दावे की कुल राशि) दावे की कुल देय राशि के परम मूल्य या प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

किस्त भुगतान का माध्यम	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/-
तिमाही	रु. 15,000/-
छमाही	रु. 25,000/-
वार्षिक	रु. 50,000/-

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर 5 वर्ष से कम नहीं वार्षिक प्रभावी दर होगी छमाही जी-सेक दर मायनस 2%; जहां 5 वर्षीय छमाही जी-सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिनों के अनुसार होगी।

तद्नुसार, 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त की राशि की गणना करने के लिए लागू ब्याज दर 4.84% वार्षिक होगी।

परिपक्वता हितलाभ में निपटान विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता की देय तिथि से कम से कम 3 माह पहले, किस्तों में दावे की कुल राशि को पाने के लिए विकल्प को चुनना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि को किया जाएगा और उसके बाद पॉलिसीधारक द्वारा चुने हुए किस्त भुगतान के माध्यम के अनुसार परिपक्वता की तिथि से प्रत्येक महीने या तिमाही या छमाही या वार्षिक आधार पर, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

परिपक्वता हितलाभ के निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के बाद:

i. अगर किसी बीमित व्यक्ति ने जिसने परिपक्वता हितलाभ के निपटान विकल्प पर अमल किया है, अब उस विकल्प को वापस लेकर बकाया किस्तों को एक साथ प्राप्त करना चाहता है, तो बीमित व्यक्ति से इस बारे में लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति होगी. ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि जो कि निम्नलिखित में से जो भी अधिक हो, के समान होगी तथा पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा।

  - भविष्य में देय सभी किस्तों का रियायती मूल्य; या
  - (मूल राशि जिसके लिए निपटान विकल्प पर अमल किया गया था)- (अदा की जा चुकी किस्तों का योगफल)

ii. भविष्य के किस्त भुगतानों को कम करने के लिए अपनाई जाने वाली ब्याज दर 5 वर्ष तक के लिए छमाही जी-सेक दर से वार्षिक प्रभावी दर होगी; जहां 5 वर्ष की

छमाही जी-सेक दर पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम कामकाजी दिन, जिसके दौरान निपटान विकल्प को निपटाया गया था, के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2022 से 30 अप्रैल, 2023 तक 12 महीनों की अवधि के दौरान शुरू किए गए सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भावी किस्तों में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 6.33 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

iii. परिपक्वता की तिथि के पश्चात, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, जिसने निपटान विकल्प चुना हो, बकाया किस्तों का भुगतान नामित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, बिना किसी बदलाव किया जाता रहेगा, और नामित व्यक्ति को इसमें कोई बदलाव नहीं करने दिया जाएगा।

III. मृत्यु हितलाभ को किस्तों में लेने का विकल्प:

यह किसी प्रभावी और साथ ही साथ प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि लेने के बजाय गई 5 वर्ष की अवधि में किस्तों में मृत्यु लाभ प्राप्त करने के लिए एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग जीवन बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु लाभों के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो निश्चत मूल्य में, या फिर कुल देय दावा प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान, चुने गए अनुसार, वार्षिक या छमाही या तिमाही या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जो कि विभिन्न भुगतान माध्यमों के लिए नीचे दी गई न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

किस्त भुगतान का माध्यम	**न्यूनतम किस्त राशि**
मासिक	रु. 5,000/-
तिमाही	रु. 15,000/-
छमाही	रु. 25,000/-
वार्षिक	रु. 50,000/-

अगर दावे की कुल राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प हेतु न्यूनतम किस्त राशि से कम है तो राशि का केवल एकमुश्त भुगतान ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करने के लिए इस्तेमाल की गई ब्याज दर 5 वर्ष से छमाही जी-सेक दर मायनस 2% वार्षिक प्रभावी दर से कम नहीं होगी। जहां 5 वर्षीय छमाही जी-सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तद्नुसार, 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त की राशि की गणना करने के लिए लागू ब्याज दर 4.84% वार्षिक होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प का उपयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति की अवयस्कता के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा या वयस्क होने पर बीमित व्यक्ति द्वारा इस विकल्प का उपयोग अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी के प्रचलित रहते हुए, शुद्ध दावा राशि, जिसके लिए उस विकल्प का उपयोग करना है, का उल्लेख करते हुए किया जा सकता है। तब मृत्यु दावा राशि का भुगतान पॉलिसीधारक बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

4. प्रीमियमों का भुगतानः

प्रीमियमों का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, छमाही, तिमाही या मासिक अंतरालों में (मासिक प्रीमियमों केवल एनएसीएच के जरिए) या पॉलिसी अवधि के दौरान वेतन से कटौती के ज़रिए किया जा सकता है।

5. अनुग्रह अवधिः

भुगतान न हुए प्रीमियम की पहली तिथि से मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिन तथा वार्षिक या छमाही या तिमाही प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिन की एक अनुग्रह अवधि होगी। इस अवधि के दौरान, इस पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यह पॉलिसी बिना किसी रुकावट के, जोखिम बीमा-सुरक्षा के साथ प्रभावी मानी जाएगी। यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि उन हितलाभ प्रीमियमों के लिए भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय हैं।

6. प्रीमियम के नमूने का उदाहरण :

मानक जीवनों के लिए रु. 2 लाख की मूल बीमा राशि (बीएसए) की ऑफलाइन (सीआईएस के बिना) बेची जाने वाली पॉलिसियों हेतु वार्षिक प्रीमियमों का उदाहरण निम्न अनुसार है :

उम्र (नजदीकी जन्म दिन)	वार्षिक प्रीमियम (रु.)					
	पॉलिसी अवधि (प्रीमियम भुगतान अवधि)					
	15(7)	16(8)	17(9)	18(10)	19(11)	20(12)
10	17,679	15,190	13,279	11,917	10,692	9,682
20	17,787	15,288	13,377	12,015	10,780	9,771
30	17,846	15,347	13,446	12,083	10,858	9,849
40	18,159	15,670	13,769	12,436	11,221	10,231
50	19,208	16,719	14,837	13,524	12,328	11,358

उपरोक्त प्रीमियम्स में कर शामिल नहीं हैं.

7. छूट :

छूट का प्रकार :	
प्रकार	**छूट**
वार्षिक प्रकार	सारणिक प्रीमियम का 2%
छमाही प्रकार	सारणिक प्रीमियम का 1%
तिमाही, मासिक (एनएसीएच) और वेतन से कटौती	शून्य

उच्च बीमा राशि पर छूट	
मूल बीमा राशि(बीएसए)	**सारणिक प्रीमियम प्रति रु. 1000 बीएसए (रु.) पर राहत**
रु. 2,75,000 तक	**शून्य**
रु. 3,00,000 से रु. 3,75,000	**0.50**
रु. 4,00,000 से रु. 4,75,000	**1.50**
रु. 5,00,000	**2.00**

अभिकर्ता/मध्यावर्ती की किसी मदद के बिना पूरा किए जाने वाले प्रस्तावों पर, निम्नलिखित दरों से सारणिक प्रीमियम पर राहत मिलेगी :

ऑनलाइन बिक्री के अंतर्गत छूट	
प्रीमियम भुगतान अवधि	**राहत की दर (सारणिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में)**
7 से 9 वर्ष	7.50%
10 से 12 वर्ष	10.00%

8. पुनर्चलनः

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो इससे पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। किसी कालातीत पॉलिसी को भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के भीतर पुनःप्रचालित करवाया जा सकता है। यह पुनर्चलन समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली दरों पर ब्याज (चक्रवृद्धि छमाही) के साथ प्रीमियम(मों) की समस्त बकाया राशियों के भुगतान पर एवं जीवन बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी का प्रीमियम माफी लाभ हितलाभ चुना गया हो) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि होने पर प्रभावी होगा, और यह संतुष्टि उन जानकारियों, प्रलेखों और प्रतिवेदनों के आधार पर होगी, जो पहले से ही उपलब्ध हैं और इस संबंध में ऐसी किन्हीं अतिरिक्त जानकारियों के आधार पर होगी, जो पुनर्चलन के समय पर निगम की बीमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो सकती हैं और जिन्हें पॉलिसीधारक/जीवन बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रदान किया जाता है।

बंद हो चुकी पॉलिसी के पुनःप्रचालन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, परिवर्तित शर्तों पर स्वीकार करने, या फिर इसे अस्वीकार करने का अधिकार निगम द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। किसी बंद हो चुकी पॉलिसी का पुनर्चलन केवल तभी प्रभावी होगा, जब इसे निगम द्वारा अनुमोदित,स्वीकृत और पुनःप्रचालन रसीद को जारी कर दिया जाता है।

इस प्लान के अंतर्गत पुनःप्रचालन हेतु 1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीनों की अवधि के लिए लागू ब्याज की दर 10 वर्षीय तक जी-सेक वार्षिक दर, जिसकी गणना पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायी के दिन के अनुसार छमाही चक्रवृद्धि दर + निगम के असंबद्ध, अप्रतिभागी फ़ंड पर अर्जित आमदनी +1%, जो भी अधिक हो, के समान होगी। 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक की 12 महीने की अवधि के लिए लागू ब्याज दर छमाही चक्रवृद्धि दर से 9.50% वार्षिक होगी। पॉलिसी पुनःप्रचालन के लिए ब्याज दर की गणना का आधार परिवर्तन के अधीन है।

हितलाभ(भों) के पुनर्चलन, यदि इसे चुना गया हो, को मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही माना जाएगा, अलग से नहीं।

9. पीओएसपी-एलआई तथा सीपीएससी- एसपीवी के ज़रिए खरीदा गया प्लानः

इस योजना को पॉइन्ट ऑफ़ सेल्स पर्सन्स-लाइफ़ इंश्योरेन्स POSP-LI तथा कॉमन पब्लिक सर्विस सेन्टर्स CPSC-SPV के ज़रिए भी खरीदा जा सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में पात्रता की शर्तें तथा अन्य नियम व शर्तें आईआरडीएआई द्वारा POS योजनाओं और POSP-LI को लागू दिशानिर्देशों, परिपत्रों तथा विनियमों के अनुसार होगी। वर्तमान में POSP-LI और CPSC-SPV के ज़रिए प्राप्त किए गए प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित आगामी प्रतिबंध लागू हैं :

- प्रवेश की अधिकतम उम्रः 65 वर्ष (नजदीकी जन्मदिन पर उम्र) - पॉलिसी अवधि
- परिपक्वता की अधिकतम उम्रः 65 वर्ष (नजदीकी जन्मदिन पर उम्र)
- मृत्यु पर अधिकतम बीमा राशि (प्रति जीवन): रु. 25 लाख

एलआईसी का जीवन आजाद असंबद्ध, अप्रतिभागी, एंडोवमेन्ट श्रेणी के POS लाइफ़ प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है, अगर इसे POSP-LI या CPSC-SPV के ज़रिए खरीदा

गया हो। असंबद्ध, अप्रतिभागी, एंडोवमेन्ट उत्पादों की इस श्रेणी में सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी पॉलिसियों के संदर्भ में प्रत्येक मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि, अगर उन्हें POSP-LI या CPSC-SPV चैनल (दोनों शामिल) के ज़रिए खरीदा गया हो, रु. 25 लाख होगी।

तथापि, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु पर अधिकतम स्वीकार्य बीमा राशि का निर्धारण, निगम की बीमांकन पॉलिसी के साथ इस प्लान के अंतर्गत गैर-चिकित्सीय सीमाओं के अनुसार किया जाएगा।

- POSP-LI/CPSC-SPV के ज़रिए प्राप्त की गई पॉलिसियों के मामले में कोई अनुवृद्धि उपलब्ध नहीं होगा।
- एलआईसी के जीवन आजाद के लिए लागू मुख्य विशेषताएं कागजात (केएफडी) व प्रस्ताव पत्र का इस्तेमाल POSP-LI या CPSC-SPV के ज़रिए की जाने वाली बिक्री के मामले में लागू होगा।

10. प्रदत्त मूल्य:

यदि दो वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है, और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी हितलाभ भुगतान न की गई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि कम से कम दो पूर्ण वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया है और किसी भी अनुवर्ती प्रीमियम का विधिवत भुगतान नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पूर्णतः शून्य नहीं होगी, बल्कि पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रदत्त पॉलिसी के रूप में कायम रहेगी।

प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु पर बीमा राशि घटकर एक ऐसी राशि हो जाएगी जिसे **''मृत्यु पर प्रदत्त बीमा राशि''** कहा गया है और वह मृत्यु पर बीमा राशि गुणित उस कुल अवधि के अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियम्स मूल रूप से देय थीं, के बराबर होगी। प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, 'मृत्यु पर प्रदत्त बीमा राशि' एकमुश्त रूप में देय होगी तथा उसके बाद कोई हितलाभ देय नहीं होंगे।

प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता पर प्रदत्त बीमा राशि घटकर एक ऐसी राशि हो जाएगी जिसे **''परिपक्वता पर प्रदत्त बीमा राशि''** कहा गया है और वह परिपक्वता पर बीमा राशि गुणित उस कुल अवधि के अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, उस अधिकतम अवधि के लिए, जिसके लिए प्रीमियम्स मूल रूप से देय थीं, के बराबर होगी। परिपक्वता पर परिपक्वता चुकता बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा।

यदि पॉलिसी उल्लिखित स्थिमि में है, तो अनुवृद्धि को कोई प्रदत्त मूल प्राप्त नहीं होगा और अनुवृद्धि हितलाभ लागू होना बंद हो जाएगा।

11. अभ्यर्पण:

पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा किसी भी समय पॉलिसी अभ्यर्पित की सकती है, बशर्ते कि दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो।

पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम द्वारा निश्चित अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जाएगा, जो निश्चित अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यूर्पण मूल्य के बराबर या उससे अधिक होगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान देय निश्चित अभ्यर्पण मूल्य, कुल भुगतान किए गए प्रीमियमों (अतिरिक्त प्रीमियमों, कर तथा अनुवृद्धियों हेतु प्रीमियमों, अगर चुने गए हों, को छोड़कर) निश्चित अभ्यर्पण मूल्य घटक के समान होगा।

प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त ये निश्चित अभ्यर्पण मूल्य घटक पॉलिसी अवधि

और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर होंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है और वे निम्नानुसार हैं :

भुगतान की गई कुल प्रीमियमों पर लागू निश्चित अभ्यर्पण मूल्य कारक						
	पॉलिसी अवधि →					
पॉलिसी वर्ष	15	16	17	18	19	20
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%
9	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%
10	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%
11	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%
12	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%
13	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%
14	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%
15	90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%
16		90.00%	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%
17			90.00%	90.00%	77.27%	75.00%
18				90.00%	90.00%	77.50%
19					90.00%	90.00%
20						90.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य (SSV) समीक्षाधीन है और इसकी गणना निगम द्वारा समय-समय पर की जाएगी, जो कि आईआरडीएआई की पूर्व मंजूरी के अधीन होगी।
अनुवृद्धि(यों), अगर कोई हो,तो उनका कोई अभ्यर्पण मूल्य नहीं होगा।

12. पॉलिसी ऋण:

पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अंतर्गत, ऋण लिया जा सकता है, जो कि ऐसी राशि के लिए पॉलिसी के अभ्यर्पण मूल्य तथा निगम द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित नियमों व शर्तों के अधीन है।

(i) ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते कम से कम पूरे दो वर्षों के प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया हो

(ii) स्वीकृत किया जाने वाला अधिकतम ऋण निम्न अनुसार होगा :

क. प्रभावी पॉलिसियों के लिए: अभ्यर्पण मूल्य का 90% तक

ख. प्रदत्त पॉलिसियों के लिए: अभ्यर्पण मूल्य का 80% तक

(iii) पूर्ण: ऋण अवधि के लिए लागू ऋण ब्याज की दर, इस ऋण हेतु 1 मई से 30 अप्रैल तक की 12 महीने की अवधि के लिए पूर्व वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायी दिन पर छमाही चक्रवृद्धि दर से 10 वर्ष से अधिक नहीं जी-सेक दर + 3% या निगम के असंबद्ध, अप्रतिभागी फंड पर अर्जित आमदनी +1%,जो भी अधिक हो, के समान होगी। 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023 तक 12 महीने की अवधि

के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज की दर छमाही चक्रवृद्धि दर से 9.50% वार्षिक होगी। पॉलिसी ऋण पर लागू ऋण ब्याज की गणना का आधार परिवर्तन के अधीन है।

(iv) किसी बकाया ऋण और ऋण पर ब्याज की वसूली, निकास के समय दावे की राशि से की जाएगी।

13. कर (टैक्स):

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए जाने वाले वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और कर की दर समय-समय पर लागू अनुसार होगी।

इस पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम(मों) (मूल बीमा राशि तथा अनुवृद्धि(यों) के लिए, अगर कोई हो), जिसमें अतिरिक्त प्रीमियमों भी शामिल हैं, अगर कोई हों, पर प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि पॉलिसी धारक द्वारा देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम(मों) के अलावा अलग से लिया जाएगा। भुगतान की गई कर की राशि पर इस प्लान के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

14. निशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक, पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी कागजात के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक माध्यम से प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, पॉलिसी निगम को वापस लौटाई जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और अनुवृद्धि-(यों) के लिए, यदि कोई हो), चिकित्सीय परीक्षण, विशेष रिपोर्ट के लिए प्रभार, यदि कोई हो और स्टाम्प शुल्क प्रभार पर हुए खर्च की कटौती करने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी।

15. आत्महत्या अपवर्जन:

i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम के शुरू होने की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी कुल अदा किए गए प्रीमियम्स में से किसी कर, अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर राइडर प्रीमियम, अगर कोई हो, को छोड़कर, आने वाली राशि का 80% पाने का पात्र होगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो। यह खण्ड उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जब बीमित व्यक्ति की प्रवेश पर उम्र 8 वर्ष से कम हो।

ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुर्नचलन की तिथि से 12 माह के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो मृत्यु की तिथि तक कुल अदा किए गए कुल प्रीमियमों (किसी टैक्स, अतिरिक्त प्रीमियम को छोड़कर अनुवृद्धि प्रीमियम, अगर कोई हो) के 80% या मृत्यु की तिथि को उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य, में से जो भी अधिक हो, को पाने पात्र होगा। बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का पात्र नहीं होगा।

यह खंण्ड लागू नहीं होगा :

- पुनर्चलन के समय पर जीवन बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम है।
- पॉलिसी बिना कोई प्रदत्त मूल्य अर्जित किए कालातीत हो जाती है और ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होता है।

16. प्रतीक्षा अवधि:

अगर योजना को POSP-LI / CPSC-SPV के ज़रिए खरीदा जाता है, तो जोखिम के आरंभ होने की तिथि से पहले 90 दिनों के अंदर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, भुगतान किए गए कुल प्रीमियमों को निगम द्वारा लौटा दिया जाएगा, बशर्ते पॉलिसी प्रभावी हो और मृत्यु का कारण दुर्घटना न हो। लेकिन मृत्यु के कारण प्रतीक्षा अवधि के दौरान दुर्घटना होने पर मृत्यु पर बीमा राशि'' उपरोक्त पैरा 1.अ में उल्लेख किए गए अनुसार देय होगी। अगर बीमित व्यक्ति की प्रवेश की उम्र 8 वर्ष से कम हो तो यह खण्ड लागू नहीं होगा।

17. नमूना हितलाभ का उदाहरण:

उदाहरणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पादन की विशेषताओं और हितलाभ के प्रवाह को कुछ सीमा तक परिमाणन के साथ समझ सके. यह उदाहरण एक मानक (चिकित्सा, जीवन शैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) जीवन के लिए है जहां पॉलिसियों को एजेन्ट/मध्यावर्तियों के ज़रिए चुना गया है।

उदाहरण 1:

उम्र	30	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	4.50%
पॉलिसी अवधि	18	जीएसटी दर(दूसरे वर्ष से):	2.25%
प्रीमियम भुगतान अवधि	10	प्रीमियम भुगतान का माध्यम	Yearly
मूल बीमा राशि रु.	2,00,000	किस्त प्रीमियम की राशि	12,083
मृत्यु पर बीमा राशि रु.	2,00,000		
नोटः जीएसटी समय - समय पर लागू दर से लिया जाएगा			

हितलाभ सारांश:

पॉलिसी वर्ष (वर्ष की समाप्ति पर)	वार्षिकीकृत प्रीमियम (संचयी)	निश्चित हितलाभ (रु.)		
		परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	न्यूनतम निश्चित अभ्यर्पण हितलाभ
1	12,083	0	2,00,000	0
2	24,166	0	2,00,000	7,250
3	36,249	0	2,00,000	12,687
4	48,332	0	2,00,000	24,166
5	60,415	0	2,00,000	30,208
6	72,498	0	2,00,000	36,249
7	84,581	0	2,00,000	42,291
8	96,664	0	2,00,000	51,232
9	1,08,747	0	2,00,000	60,898
10	1,20,830	0	2,00,000	71,290
11	1,20,830	0	2,00,000	74,915
12	1,20,830	0	2,00,000	78,540
13	1,20,830	0	2,00,000	82,164
14	1,20,830	0	2,00,000	85,789
15	1,20,830	0	2,00,000	89,414

16	1,20,830	0	2,00,000	93,039
17	1,20,830	0	2,00,000	1,08,747
18	1,20,830	2,00,000	2,00,000	1,08,747

1. वार्षिकीकृत प्रीमियम का भुगतान वर्ष के आरंभ में किया जाना है और इसमें बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियमों पर बारंबारता लोडिंग, अनुवृद्धियों के लिए अदा किए गए प्रीमियमों, अगर कोई हो, तथा वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं है।
2. किसी भी दशा में कुल मृत्यु हितलाभ, कुल अदा किए गए प्रीमियमों के 105% से अधिक नहीं होगा (जीएसटी, अतिरिक्त प्रीमियम तथा अनुवृद्धि प्रीमियमों को छोड़कर, अगर लागू हो)।
3. हालांकि विशेष अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान किया जा सकता है, अगर यह पॉलिसीधारक के लिए अनुकूल हो। विशेष अभ्यर्पण मूल्य को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 45:

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधान समय-समय पर संशोधन अनुसार होंगे। इस प्रावधान का सरलीकृत संस्करण निम्नानुसार है :

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के अनुसार पॉलिसी से संबंधित सवाल न उठाए जाने वाले प्रावधान निम्नानुसार हैं :

1. निम्नांकित से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी विषय में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा :

   क. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या

   ख. जोखिम शुरू होने की तिथि, या

   ग. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, या

   घ. पॉलिसी के लिए अनुवृद्धि की तिथि

   जो भी बाद में हो।

2. धोखाधड़ी के आधार पर, जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर निम्नांकित से 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है :

   क. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या

   ख. जोखिम शुरू होने की तिथि, या

   ग. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, या

   घ. पॉलिसी के लिए अनुवृद्धि की तिथि

   जो भी बाद में हो

   इसके लिए, बीमाकर्ता को उस आधार एवं सामग्रियों का उल्लेख करते हुए, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित होता है, बीमित को या बीमित के वैधानिक प्रतिनिधि या नामिती या समनुदेशिती, जैसा भी लागू हो, को लिखित में सूचना देनी चाहिए।

3. धोखाधड़ी का आशय निम्नांकित में से कोई भी कृत्य, जो बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा, बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से किया जाता है :

   क. सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं

   मानता है;

   ख. उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

   ग. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

   घ. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

4. केवल मौन रहना तब तक धोखाधड़ी नहीं है, जब तक मामले की परिस्थितियों के आधार पर, बोलने से मौन रहना बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का कर्त्तव्य है या मौन रहना अपने आप में बोलने के समकक्ष हो।

5. किसी भी बीमाकर्ता द्वारा किसी जीवन बीमा पॉलिसी का परित्याग धोखाधड़ी के आधार पर नहीं किया जाएगा, यदि बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि गलत-बयानी उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य थी और उस तथ्य को दबाकर रखने की कोई जान-बूझकर मंशा नहीं थी या उस महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत-बयानी या उसे दबाकर रखना बीमाकर्ता की जानकारी में था। खंडन करने का कार्यभार जीवित होने पर पॉलिसीधारक का, या फिर लाभार्थी का है।

6. जीवन बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है, कि बीमित व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या उसकी गलत-बयानी उस प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज में गलत रूप से की गई थी, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या अनुवृद्धि जारी किया गया था. इसके लिए, बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को, जैसा लागू हो, लिखित में सूचना दी जानी चाहिए, जिसमें उस आधार या सामग्रियों का उल्लेख हो, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी का परित्याग करने का निर्णय लिया गया है।

7. यदि परित्याग गलत-बयानी के आधार पर किया जाए और धोखाधड़ी के आधार पर नहीं, तो ऐसी स्थिति में, परित्याग की तिथि तक पॉलिसी पर संग्रहित प्रीमियम का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को परित्याग की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

8. तथ्य को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक वह बीमाकर्ता द्वारा लिए गए जोखिम पर प्रत्यक्ष भार न डालता हो। यह दर्शाने का कर्त्तव्य बीमाकर्ता का है, कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

9. बीमाकर्ता द्वारा किसी भी समय आयु का प्रमाण माँगा जा सकता है, यदि वह ऐसा करने का पात्र है और किसी भी पॉलिसी पर केवल इसलिए सवाल उठाया जाना नहीं समझा जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें जीवन बीमित व्यक्ति की आयु के परवर्ती प्रमाण पर समायोजित हैं। इसलिए, यह अनुच्छेद आयु पर सवाल उठाए जाने या परवर्ती रूप से जमा करवाए गए आयु के प्रमाण पर आधारित समायोजन किए जाने के लिए लागू नहीं होगा।

[अस्वीकरण: यह बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 की व्यापक सूची नहीं है और केवल सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया सरलीकृत संस्करण है। पॉलिसी धारकों को पूर्ण और सटीक विवरण के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 को देखने की सलाह दी जाती है]

<u>रियायतों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41) :</u>

1. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की सारणिक या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो :

2. इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी को लागू बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराओं को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

यह उत्पाद विवरणिका योजना की मुख्य विशेषताओं का ही वर्णन करती है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारे वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध पॉलिसी दस्तावेज देखें अथवा हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

बनावटी एवं कपट/फर्जी फोन कॉलों से सावधान रहें

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसी बेचने, लाभांश घोषित करने या प्रीमियम के निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होता है। ऐसी फोन कॉल प्राप्त करने वाले नागरिकों से अनुरोध है कि इसकी शिकायत पुलिस से करें।

पंजीकृत कार्यालयः

भारतीय जीवन बीमा निगम,

केन्द्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई -400021

वेबसाइडः www.licindia.in

पंजीकरण संख्याः 512